पत्रांक 15/एम 1–20/2013 – 1136
बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

एच०आर०श्रीनिवास,
विशेष सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
सभी विश्वविद्यालय।
(पटना विश्वविद्यालय को छोड़कर)

फैक्स
स्पीड पोस्ट

पटना, दिनांक 18/6/14

विषयः– महाविद्यालयों के सम्बन्धन हेतु विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विश्वविद्यालयों से स्थायी/अस्थायी संबंधन/संबंधन का दीर्घीकरण/नव संबंधन हेतु प्राप्त प्रस्तावों में, जिन महाविद्यालयों के संबंधन का प्रस्ताव विभाग द्वारा समीक्षोपरान्त निर्धारित अर्हत्ताओं को पूरा नहीं करने के कारण, अस्वीकृति संसूचित कर दी गई है, उन महाविद्यालय के संबंध में पुनः नये सिरे से विश्वविद्यालय के माध्यम से निर्धारित विहित प्रक्रिया अपनाकर प्रस्ताव प्राप्त होने पर हीं विभाग द्वारा उन प्रस्तावों पर पुनः नये सिरे से विचार किया जायगा।

2. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन महाविद्यालयों को एक समय–सीमा निर्धारित कर, सभी कमियों को दूर करेंगे एवं तदोपरान्त बिना विलम्ब किये जाँच समिति से जाँच कराकर जो महाविद्यालय निर्धारित अहर्त्ताएं पूर्ण करते हैं तो निर्धारित प्रक्रिया पूरा कराते हुए विभाग को प्रस्ताव भेजेंगे।

3. अतएव राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक 1098 दिनांक 19.04.1986 के द्वारा निर्गत परिनियम एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–21 (2) (d) में अंकित प्रावधानों के आलोक में जिन महाविद्यालयों के संबंधन हेतु प्राप्त प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया है, उन महाविद्यालयों के संबंध में उपरोक्त प्रक्रिया अपना कर हीं प्रस्ताव भेजा जाय।

विश्वासभाजन,

18/6

(एच०ओर०श्रीनिवास)
विशेष सचिव

चिट्ठी–पतरी